तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
23-2-18	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित। वास्ते बहस पत्रावली 9-3-18 को पेश हो। पुरचय. बहस सुनी गई वास्ते आदेश पत्रावली 9-3-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)
9-3-18	पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उपस्थित- आदेश सुनाया गया प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है विस्तृत निर्णय पृथक से लिखाया जाकर श.फाईल किया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील शामिल मूल बाद रहे (हस्ताक्षर) उपखण्ड अधिकारी लाखेरी (बून्दी)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी लाखेरी, बून्दी

प्रार्थना पत्र संख्या 13/प्रार्थना पत्र/16 पीठासीन अधिकारी गरिमा लाटा **RAS**

दायरा दिनांक– 1.03.2016

उनवान

1. राजाराम आ. रामनारायण जाति कंजर निवासी मोहनपुरा
2. राकेश आ. रामनारायण जाति कंजर निवासी मोहनपुरा
3. नन्दकिशोर आ. रामनारायण जाति कंजर निवासी मोहनपुरा
4. कैलाश आ. रामनारायण जाति कंजर निवासी मोहनपुरा
5. धनपाल आ. रामनारायण जाति कंजर निवासी मोहनपुरा
   तहसील इन्द्रगढ़ जिला बूंदी (राज.)।

–प्रार्थीगण

बनाम

1. राज. सरकार जर्ये तहसीलदार सा. इन्द्रगढ़ जिला बून्दी

–अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर. टी. एक्ट वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु।

निर्णय

दिनांक–9.3.18

यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीगण ने जर्ये अधिवक्ता इस न्यायालय में वाद खातेदारी अधिकार घोषणा वाद अन्तर्गत धारा 88,89,19,92 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया। प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2017 वाके ग्राम खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राज. में दर्ज कृषि भूमि ख. सं. 242 रकबा 0.26 हैक्ट., खसरा नं. 243 रकबा 0.95 हैक्ट., खसरा नं. 244/324 रकबा 0.20 हैक्ट., कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हैक्ट. स्थित है। जो काबिज काश्तकार के रूप में वादीगण के नाम दर्ज है। वाद विषयक आराजी पर प्रार्थीगण गत 40 वर्षो से नियमित एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त रहकर कृषि लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है और प्रार्थीगण प्रत्येक कृषि वर्षो में खरीफ की फसलों में मूंगफली, तिल्ली, उडद, ज्वार, बाजरा एवं रबी की फसलों में गेहूं, सरसों, तारामीरा आदि की फसले वाद विषयक आराजी पर बोते काटते हुए समस्त कृषि गतिविधियां करते चले आ रहे है तथा लगान का 50 गुना भूमिधारी तहसीलदार महोदय के अधिनस्थ कर्मचारियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अदा करते रहे है। इस प्रकार वादीगण का वाद विषयक आराजी पर भूमिधारी तहसीलदार व उसके अधिनस्थ कर्मचारियो की जानकारी मे काबिज काश्त गत 40 वर्षो से चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)

प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण को वाद विषयक आराजी का खातेदार कृषक घोषित ाने व दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा बाबत अप्रार्थी भूमिधारी के विरूद्ध वाद पत्र माननीय न्यायालय में पेश करे जबकि अप्रार्थी को वाद विषयक आराजी से बेदखल करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है।

अतः अप्रार्थी को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थीगण को वाद विषयक आराजी से बेदखल कर कब्जेराज लेने की कोई कार्यवाही नही करे और न प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में कोई दखलअन्दाजी पैदा करे और न ही काश्तकारी कार्य करने से रोके। ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियो से करावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया व बहस पर मनन किया। न्यायालय का निर्णय निम्न प्रकार से है–

प्रथम दृष्टया मामला– प्रार्थीगण का कथन है कि खसरा परिवर्तनशील सम्वत् 2071 वाके ग्राम खेडलीमाफी में दर्ज कृषि भूमि खसरा सं. 242 रकबा 0.26 है, खसरा सं. 243 रकबा 0.95 है, खसरा सं. 244/324 रकबा 0.20 है। कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 है, में वादीगण का नाम दर्ज है। खसरा सं. 242 किस्म गै. मु. दर्ज खसरा सं. 243 व 244 चारागाह है। वादीगण की स्थिति पश्चातवर्ती अतिकमी है। उक्त भूमिया राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के तहत भी प्रतिबंधित भूमियां है। अतः प्रार्थीगण के पक्ष में प्रथम दृष्टया मामला नही बनता है।

सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति– विवादित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी की नही है। सभी अधिसंभावनाओ व संभावनाओ की तुलना करने पर उक्त दोनो सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध नही हुए है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र वास्ते अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज किया जाता है। निणर्य आज दिनांक 9.3.18 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी

है। इस प्रकार वादीगण का वाद विषयक आराजी पर भूमिधारी तहसीलदार व उसके अधिनस्थ कर्मचारियो की जानकारी मे काबिज काश्त गत 40 वर्षो से चले आ रहे है।

भारतीय मियाद अधि. का अनुच्छेद 112 व धारा 27 के तहत राज्य सरकार के भूमिधारी के स्वामित्व, अधिकार कानूनन पूर्णतया समाप्त हो चुके है और प्रार्थीगण का पिछले 40 वर्षो से अधिक का कब्जाकाश्त नियमित एवं निर्बाध रूप से राज्य सरकार के प्रतिनिधि भूमिधारी की जानकारी में पक्षद्रोही कब्जा काश्त चला आने से प्रार्थीगण कब्जा मुखा लफाना के आधार पर वाद विषयक आराजी का खातेदार कृषक कानूनन बन चुके है।

जनवरी सन 2016 के अन्तिम सप्ताह मे वाद विषयक आराजी को प्रार्थीगण के खाते लगाने का निवेदन अप्रार्थी से किया गया तो अप्रार्थी ने प्रार्थीगण को वाद विषयक आराजी से बेदखल करने की धमकी दी गई। यही वाद कारण है। प्रार्थीगण को अधिकार प्राप्त है कि प्रार्थीगण को वाद विषयक आराजी का खातेदार कृषक घोषित कराने व दौराने वाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद करावे। यदि दौराने वाद अप्रार्थी को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वे प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि पर से बेदखल कर देगे। जिससे प्रार्थीगण के जीविकोपार्जन का साध नही समाप्त हो जावेगा। एवं ऐसी अपूर्णनीय क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी प्रकार सम्भव नही हो सकेगी।

सुविधा का सन्तुलन एवं प्रथम दृष्टया केस व अपूर्णनीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है।

निवेदन है कि अप्रार्थी को जर्ये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह प्रार्थीगण को वाद विषयक आराजी से बेदखल कर कब्जेराज लेने की कोई कार्यवाही नही करे और न प्रार्थीगण के कब्जे काश्त मे कोई दखलअन्दाजी पैदा करे और न ही काश्तकारी कार्य करने से रोके। ऐसा न तो स्वयं करे और न ही अपने प्रतिनिधियो से करावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया है। अप्रार्थी को जर्ये नोटिस किया गया। नियत पेशी पर अप्रार्थी/सरकार अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई। नियत पेशी पर अधिवक्ता प्रार्थीगण एकपक्षीय बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि विवादित आराजी के खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2017 वाके ग्राम खेडलीमाफी तहसील इन्द्रगढ जिला बून्दी, राज. में दर्ज कृषि भूमि ख. सं. 242 रकबा 0.26 हैक्ट., खसरा नं. 243 रकबा 0.95 हैक्ट., खसरा नं. 244/324 रकबा 0.20 हैक्ट., कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हैक्ट. स्थित है। जो काबिज काश्तकार के रूप में वादीगण के नाम दर्ज है।

वाद विषयक आराजी पर प्रार्थीगण गत 40 वर्षों से नियमित एवं निर्बाध रूप से काबिज काश्त रहकर कृषि लाभ प्राप्त करते चले आ रहे है और प्रार्थीगण प्रत्येक कृषि वर्षों में खरीफ की फसलों मे मूंगफली, तिल्ली, उड.द, ज्वार, बाजरा एवं रबी की फसलों में गेहूं, सरसों, तारामीरा आदि की फसले वाद विषयक आराजी पर बोते काटते हुए समस्त कृषि गतिविधियां करते चले आ रहे है तथा लगान का 50 गुना भूमिधारी तहसीलदार महोदय के अधीनस्थ कर्मचारियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से अदा करते रहे है। इस प्रकार वादीगण का वाद विषयक आराजी पर भूमिधारी तहसीलदार व उसके अधिनस्थ कर्मचारियों की जानकारी में काबिज काश्त गत 40 वर्षो से चले आ रहे है।

उपखण्ड अधिकारी
लाखेरी (बून्दी)